अनुसूची–१४ –फारम सं0 ४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 134 / 2012

रामसकल साह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 3331, दिनांक 11.10.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 04.09.2012 को रामसकल साह, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–38/2007,पंचायत–अमनौर कल्याण, प्रखंड–अमनौर, थाना– अमनौर जिला–सारण की दूकान की जांच मो0 राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना एवं मिथलेश कुमार सिन्हा पणन पदाधिकारी. मुख्यालय (सचिवालय) पटना के द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी– विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि उन्हे जन वितरण से संबंधित सामग्रियों के वितरण में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाता है तथा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन/किरासन की आपूर्ति की जाती हें उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, के ज्ञापांक 2985 ,दिनांक 15.09.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा प्रत्येक माह में विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का वितरण कूपन के आधार पर ससमय किया जाता है उनके द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामान की आपूर्ति की जाती हें उनके विरूद्ध कुछ	

लोगो के द्वारा लगाया गया सभी आरोप गलत है एवं विकेता को परेशान करने की नियत से लगाया गया है जांच पदाधिकारी न तो विकेता की दूकान पर गए और न ही उनसे कोई कागजात की मांग की गई और न ही विकेता की दूकान की निरीक्षण ही किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3331, दिनांक 11.10.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विकेता के विरूद्ध दिए गए कुल 9 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विकेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। विकेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निर्देश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विकेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर विकेता से कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 357 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/5/15